

प्रेस-विज्ञप्तिथाना गम्भीरपुरदुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 22.09.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त की बहन मुझे बिन्द्राबजार मे बुलाकर अपने भाई के साथ घर पहुँचाने की बात कहकर वादिनी को मोटर साइकिल पर बैठा दी, जिसके बाद अभियुक्त विपिन यादव पुत्र गामा यादव निवासी अबुसईदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष धमकी देते हुए आजमगढ़ ले जाकर मेरे साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 319/2023 धारा 376/354/506/120बी भादवि व 67ए आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक गम्भीरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 26.09.2023 को प्र.नि. स्वतन्त्र कुमार सिंह थाना गम्भीरपुर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विपिन यादव को सैनिक ढाबा (फरिहा मोड़) से समय करीब 10:15 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विपिन यादव पुत्र गामा यादव निवासी अबुसईदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स. 319/23 धारा 376/354/506/120बी भादवि व 67ए आईटी एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्तगिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्र.नि. स्वतन्त्र कुमार सिंह मय हमराह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

थाना- मुबारकपुरगाँजा तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 26.09.2023 को उ0नि0 धनन्जय प्रसाद शुक्ल मय हमराह द्वारा देवली नहर पुलिया के पास दो व्यक्ति पुलिया पर बैठे थे जो पुलिस को देखकर उठकर भागने का प्रयास किये की शक होने पर पुलिस द्वारा दोनो व्यक्तियों को पुलिया पर ही पकड़ लिया गया। कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि हम लोग मऊ से गाँजा लाकर घर पर पुड़िया बनाकर राहगीरों को बेच देते है। दोनो अभियुक्त क्रमशः 1. मोहन उर्फ इजहार पुत्र खखखन सा0 देवली आयमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2. सलीम पुत्र सकील अहमद सा0 पुरा दुल्हन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बताये जिनके कब्जे से (एक एक किलो ग्राम) कुल 02 किग्रा गाँजा अवैध बरामद किया गया। नियमानुसार मौके पर फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी की कार्यवाही कर थाना हाजा वापस आकर - मु0अ0सं0-465/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:- 1. मोहन उर्फ इजहार पुत्र खखखन सा0 देवली आयमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2.

सलीम पुत्र सकील अहमद सा0 पुरा दुल्हन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी:- गाँजा 02 किलो

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 465/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:- मोहन उर्फ इजहार पुत्र खखखन सा0 देवली आयमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

- मु0अ0सं0 174/2017 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 80/2020 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- मु0अ0सं0 465/2023 धारा 8/20 NDPS ACT थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:- सलीम पुत्र सकील अहमद सा0 पुरा दुल्हन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

- मु0अ0सं0 193/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 194/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- मु0अ0सं0 465/2023 धारा 8/20 NDPS ACT थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम - उ0नि0 धनन्जय प्रसाद शुक्ल मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- फूलपुर

चोरी की घटना का सफल अनावरण; चोरी गये 22 गैस सिलेन्डर व दो मोटर साइकिल के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 16-09-2023 को मुकदमा वादिनी अनामिका पुत्र स्व0कंसराज ग्राम शाहपुर पो0 अम्बारी ,थाना फूलपुर ,जिला आजमगढ़ के द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र पर दिया गया कि प्रार्थनी के नाम से गैस एजेन्सी लीलावती एच.पी.गैस सेण्टर अम्बारी आजमगढ़ का गोदाम माहुल रोड़ पर ग्राम झकहा पर है गोदाम प्रतिदिन की भाति दिनांक 15-09-2023 को शाम 6 बजे गोदाम इन्चार्ज अरविन्द गोदाम का ताला बन्द करके अपने घर चले गये रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा गोदाम का दरवाजा की कुन्डी तोडकर गोदान के अन्दर 37 बाटल भरा सिलेण्डर उठा ले गये के क्रम में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 405/23 धारा 457/380 भादवि विरुद्ध अज्ञात पजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 देवी प्रसाद मिश्रा के द्वारा कि जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 25.09.23 को प्र0नि0 गजानन्द चौबे मय हमराही द्वारा सूचना पर पार्क के मुख्य गेट से अन्दर पार्क के दाहिने बाउण्ड्री/दीवाल की आड़ में गैस सिलेंडरों पर बैठे हुए चार लोगों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर शहबाज पुत्र अनीश ग्राम-माहुल (गौसपुर) थाना- अहिरौला जनपद आजमगढ़, विजय प्रताप तिवारी पुत्र बृजराज साकिन शनिचर बाजार कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर आजमगढ़, रवि कुमार गुप्ता पुत्र रामनाथ ग्राम- शेख असरफपुरथाना खुटहन जनपद जौनपुर, मोहम्मद अख्तर पुत्र मंसूर अहमद ग्राम चूड़ीहार मोहल्ला कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर आजमगढ़ को जुर्रम धारा 380/457/411/413/34 भा0द0वि0 के अपराध से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में दिनांक 25-09-2023 को रामामनोहर लोहिया पार्क ग्राम टेउगा समय 22.35 बजे रात्रि में लिया गया। बरामद HP कम्पनीके गैस सिलेण्डरकुल 22(बाइस) को कब्जा पुलिस में नियमानुसार लिया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त शहबाज ने दिनांक 15/16.09.2023 को अभियुक्तों के साथ मिलकर चोरी किया गया तथा अभियुक्त विजय प्रताप तिवारी कस्बा फूलपुर व मोहम्मद अख्तर उपरोक्त कस्बा सरायमीर में गैस सिलेंडर रिफिलिंग एवं खरीद फरोक्त का काम करते है ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए मोनू, शहबाज, पाँचू, मो0 अख्तर, रवि गुप्ता के साथ चोरी में साथ दिया था। अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता उपरोक्त लालसा HP गैसएजेन्सी मुईया अली मोहनपुर थाना निजामाबाद पर काम करता है ब्लैक में सिलेण्डर को बेच कर ज्यादा लाभ प्राप्त करूंगा इसलिए किया हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. शहबाज पुत्र अनीश ग्राम- माहुल (गौसपुर) थाना- अहिरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष
- 2- विजय प्रताप तिवारी पुत्र बृजराज साकिन शनिचर बाजार कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र 41 वर्ष
- 3- रवि कुमार गुप्ता पुत्र रामनाथ ग्राम- शेख असरफपुरथाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 23 वर्ष
- 4- मोहम्मद अख्तर पुत्र मंसूर अहमद ग्राम चूड़ीहार मोहल्ला कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 51 वर्ष

बरामदगीका विवरण:- चोरी गये 22 गैस सिलेण्डर व घटना में उपयुक्त दो मोटर साइकिल बरामद

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 405/23 धारा 457/380/411/413/34 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहास-

1-शहबाज पुत्र अनीश ग्राम- माहुल (गौसपुर) थाना- अहिरौला जनपद आजमगढ़

1-मु0अ0सं0 405/23 धारा 457/380/411/413/34 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2- मु0अ0सं0 219/18 धारा 379 भादवि थाना अरौला जनपद आजमगढ़

3- मु0अ0सं0 233/18 धारा 457/380/411 भादवि थाना अरौला जनपद आजमगढ़

2- विजय प्रताप तिवारी पुत्र बृजराज साकिन शनिचर बाजार कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर आजमगढ़

1-मु0अ0सं0 405/23 धारा 457/380/411/413/34 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

3- रवि कुमार गुप्ता पुत्र रामनाथ ग्राम- शेख असरफपुरथाना खुटहन जनपद जौनपुर

1-मु0अ0सं0 405/23 धारा 457/380/411/413/34 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

4- मोहम्मद अख्तर पुत्र मंसूर अहमद ग्राम चूड़ीहार मोहल्ला कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर आजमगढ़

1-मु0अ0सं0 405/23 धारा 457/380/411/413/34 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2-मु0अ0सं0 113/08 धारा 3/7 ईसी एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1 प्र0नि0 गजानन्द चौबे व उ0नि0 देवी प्रसाद मिश्रा मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

नोट--- मुकदमा उपरोक्त की बरामदगी व गिरफ्तारी में उ0नि0 श्री प्रकाश शुक्ला स्वाट टीम प्रभारी आजमगढ़ मय हमराहियान व हे0का0 यशवन्त सिंह, हे0का0 उमेश यादव सर्विलान्स सेल आजमगढ़ का अहम भूमिका रही है।

थाना- फूलपुर

चोरी गये रुपये व आईडी कार्ड के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 25-09-2023 को मुकदमा वादी पवन कुमार यादव पुत्र मंगल यादव सा0 डारिडीह थाना- फूलपुर आजमगढ़ दिनांक-24/09/2023 को समय लगभग 8 बजे रात्रि को अपने घर से जाते समय खोजापुर माता मंदिर के सामने पहुँचा मुझे शौच लग गयी तब मैं अपनी मोपेड UP50BJ7826 सड़क पर खड़ा करके अपनी मोबाइल रेडमी आधार कार्ड तथा 2000 रुपये एक पन्नी में लपेटकर खाड़ी की डिगी में रखा था को गाड़ी के डिगी में छोड़कर सड़क के किनारे पेशाब करने लगा कि इतने में अधेरा का फायदा उठाकर दो लड़के आये वह मेरे गाड़ी की डिगी में रखा हुआ पन्नी सहित मोबाइल, दो हजार रुपया (2000) व आधार कार्ड चुराकर जाने लगे मैंने देखा कि ये लोग मेरा सामान चुरा कर ले जा रहे हैं मैंने उनको रोकना चाहा तो गोलू उर्फ कुंदन पुत्र रामचरन निवासी बक्सपुर व अभिषेक पुत्र देवी चरन निवासी वाक्सपुर थाना फूलपुर के दोनों लड़के हाथ में लिये कट्टे को मेरे कनपटी पर सटाकर कहे कि शोर मचायेगे तो जान से मार देंगे और दोनों भाग गए के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 431/23 धारा 382 भादवि विरुद्ध अभिषेक पुत्र देवी चरन व गोलू उर्फ कुंदन पुत्र रामचरन सा0 बक्सपुर थाना फूलपुर पजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय के द्वारा कि जा रही है।

दिनांक 25-09-2023 को मुकदमा वादी राम बचन राम पुत्र जेतू राम सा0 डारिडीह थाना- फूलपुर आजमगढ़ दिनांक-24/09/2023 को समय लगभग 9 बजे रात्री मे कस्बा फूलपुर से मजदूरी करके अपने घर डारिडीह साईकिल से जा रहा था। साईकिल के हैंडिल मे झोले मे अपनी मोबाइल सैमसंग व पर्श मे आधार कार्ड था। जैसे ही मै मेजवाँ जयराम बिन्द के से 100 मीटर आगे पहुँचा तो मेरी साईकिल की चैन उतर गयी। तो मै साईकिल खडी करके चैन ठीक करने लगा। तो इसी बीच मोटर साईकिल नं0 UP-50B.A3230 से ग्राम बक्सपुर के अभिषेक पुत्र देवी चरन व गोलू उर्फ कुंदन पुत्र रामचरन मेरे पास आये इसी बीच मौका पाकर के ये दोनो लोग साईकिल मे रखे झोले को चोरी से निकाल कर ले जाने लगे। जब मेरा ध्यान इन लोगो पर गया तो मै इन लोगो को रोकना चाहा तो ये लोग मुझे कटटा व चाकू दिखाते हुए कहने लगे कि हल्ला करोगो तो गोली मार दूंगा ये दोनो लोग मुझे धमकाते हुए झोला व पर्श लेकर चले गये के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 432/23 धारा 382 भादवि विरुद्ध अभिषेक पुत्र देवी चरन व गोलू उर्फ कुंदन पुत्र रामचरन सा0 बक्सपुर थाना फूलपुर पजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय के द्वारा कि जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह द्वारा सूचना पर बीएसएनएल तिराहे से कुछ दूर पहले ही दो व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम - गोलू उर्फ कुंदन पुत्र रामचरन निवासी बक्सपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष 2- अभिषेक पुत्र देवी चरन निवासी वाक्सपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को कारण गिरफ्तारी बताते हुये अन्तर्गत धारा 382/411 भादवि में दिनांक 26-09-23 को बीएसएनएल तिराहे समय करीब 7.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गये एक आधार कार्ड , घटना में प्रयुक्त वाहन मो0सा0 स्पलेण्डर बरामद किया गया। तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. गोलू उर्फ कुंदन पुत्र रामचरन निवासी बक्सपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
- 2- अभिषेक पुत्र देवी चरन निवासी वाक्सपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण:- मु० अ० सं० 431/23 मे चोरी गये एक आधार कार्ड , घटना में प्रयुक्त वाहन मो0सा0 स्पलेण्डर UP50BA3230 व 970 रुपये नगद बरामद।

2-मु० अ० सं० 432/23 मे चोरी गये एक आधार कार्ड , घटना में प्रयुक्त वाहन मो0सा0 स्पलेण्डर UP50BA3230 बरामद। पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 431/23 धारा 382/411 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2- मु0अ0सं0 431/23 धारा 382/411 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

- 1-गोलू उर्फ कुंदन पुत्र रामचरन निवासी बक्सपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
 - 2- अभिषेक पुत्र देवी चरन निवासी वाक्सपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
- क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद आजमगढ़।

- | | | | |
|---|----------------------------|---------------|------------|
| 1 | 431/23/धारा 382,411, भादवि | फूलपुर आजमगढ़ | विवेचनाधिन |
| 2 | 432/23/धारा 382,411, भादवि | फूलपुर आजमगढ़ | विवेचनाधिन |

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

महिला के साथ हुई लूट की घटना का अनावरण; सोने का लाकेट व मोबाइल तथा अवैध असलहा व कारतूस के साथ

अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादिनी की तहरीरी सूचना कि घटना दिनांक 24/09/2023 समय शाम के 7.40 बजे कि है वादिनी शौच के लिए खेत की तरफ गई थी तभी एक अज्ञात व्यक्ति साइकिल से आया और मुझसे पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है जब मैं बताई कि मुझे नहीं पता है तभी अचानक गले का मंगलसूत्र व मोबाइल छीन लिया मेरे शोर मचाने पर मेरे साड़ी से गला में डालकर खींच दिया जिससे गले में चोट आयी जब तक आस पास के लोगो को आते देख मौके से भाग गया हडबडाहट में उसकी साइकिल मौके पर छुट गयी मंगलसूत्र की कीमत लगभग दस हजार रुपये व मोबाइल सैमसंग कम्पनी की थी, के सम्बन्ध में मु.अ.सं.

410/23 धारा 394 IPC बनाम अज्ञात दर्ज कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण - आज दिनांक 26.09.2023 को SO विनय कुमार सिंह, SI शिवकुमार यादव मय हमराह द्वारा विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त नितेश यादव पुत्र रामबेलाश यादव ग्राम बछवल बैरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को मुखबीर खास की सूचना पर शेखपुर नहर पुलिया से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। तथा जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से एक लाकेट, एक मोबाइल, एक तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- नितेश यादव पुत्र रामबेलाश यादव ग्राम बछवल बैरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- एक लाकेट, एक मोबाइल, एक तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 410/23 धारा 394 IPC थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1.मु.अ.सं. 268/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना मेंहनगर, आजमगढ़,

2.मु.अ.सं. 30/23 धारा 323/354ख/452/504/506 भादवि व 3(1)W,3(1)घ, 3(1)द, 3(2)5क SC/ST ACT थाना मेंहनगर

3.मु.अ.सं. 31/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

4. मु.अ.सं. 410/23 धारा 394/411 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद

गिरफ्तारी करने वाली टीम – SO विनय कुमार सिंह, SI शिवकुमार यादव, मय हमराह थाना मेंहनगर आजमगढ़ ।